रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 12, 1974/माघ 23, 1895
No. 31] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 12, 1974/MAGHA 23, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 12th February 1974

G.S.R. 37(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Rajasthan Rice (Export Control) Order, 1961, namely:—

1. (1) This Order may be called the Rajasthan Rice (Export Control) Amendment Order, 1974.

(2) It shall come into force at once.

2. In clause 3 of the Rajasthan Rice (Export Control) Order, 1961, for the words "or the State Government or by an officer authorised in that behalf by the Central Government or as the case may be, by the State Government", the words "or by an officer authorised in that behalf by the Central Government or by the State Government with the previous approval of the Central Government" shall be substituted.

[No. 4(RAJ)(1)/74-WT(I)-1]

R. N. CHOPRA, Special Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1974

सा० का० नि० 37 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (19 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान चावल (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का नाम राजस्थान चावल (निर्यात नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1974 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. राजस्थान चावल (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 3 में "या राज्य सरकार या यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा" शब्दों के स्थान पर "या इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा या केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से राज्य सरकार द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 4 (राज) (1)/74-डब्ल्यू टी (1)-1]

आर० एन० चोपड़ा, विशेष सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974